



The Bihar Technical Staff Selection Commission Act, 2014

Act 13 of 2014

Keyword(s):

Act, Commission, Technical Staff, Selection, Schedule, Technical Staff Selection Commission

Amendments appended: 9 of 2018, 15 of 2019, 23 of 2021, 4 of 2023, 10 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 श्रावण 1936 (श0)
(सं0 पटना 686) पटना, वृहस्पतिवार, 21 अगस्त 2014

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

21 अगस्त 2014

सं0 एल0जी0-1-08/2014/लेज: 93 ।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 14 अगस्त, 2014 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014

[बिहार अधिनियम 13, 2014]

प्रस्तावना।- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-** (1) यह अधिनियम बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।-** इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो -

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है - बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 ;

(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग ;

(iii) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है - बिहार राज्य सरकार ;

(iv) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची।

अध्याय-II

3. **आयोग का गठन।-** बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा :-

(i) **अध्यक्ष।-** राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान से अन्यून पंक्ति का कोई पदाधिकारी जिसकी न्यूनतम तीन वर्ष सेवा शेष हो :

परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा-निवृत्त पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) **सदस्य।-**राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के पाँच अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष हो :

परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ;

इन पाँच सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य का चयन क्रमशः बिहार अभियंत्रण सेवाओं, बिहार स्वास्थ्य सेवाओं से तथा बिहार प्रशासनिक सेवा से किया जाएगा। शेष दो अन्य सदस्यों का चयन उक्त तीनों सेवाओं में से किसी भी सेवा से किया जा सकेगा :

परन्तु अभियंत्रण सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी का ही सदस्य के रूप में चयन किया जा सकेगा जो राज्य सरकार के अधीन कम से कम रु0 8700/- (आठ हजार सात सौ) ग्रेड पे का अधिष्ठायी आधार पर पद धारण करते हों अथवा पहले ही पद धारित कर चुके हों

4. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।-** आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वर्षों का होगा ;

परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा :

परन्तु और यदि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरुद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य-संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य/सभी सदस्यों को तीन वर्षों का सामान्य कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा।

5. **आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र सीमा।-** आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की आयु-सीमा नियुक्ति के समय सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के मामले में अधिकतम 62 (बासठ) वर्ष होगी।

6. **आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग।-** आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा।

7. **अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी।-** आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदबल एवं उनकी सेवा-षर्तें, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी।

अध्याय-III

8. **सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा।-** आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर

यथा—पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के सभी तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

9. **चयन की प्रक्रिया।—**(1) आयोग, तकनीकी पदों हेतु संबंधित पदों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा;

परन्तु किसी तकनीकी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा।

(2) आयोग सदृश अहर्ता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

10. **समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण।—** इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्यवाही बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी :

परन्तु, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्यवाही पूर्ववत् बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी।

अध्याय—IV

11. **वित्तीय प्रावधान।—(1)** आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(2) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आयोग उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा-शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्राप्ति-शीर्ष में जमा किया जाएगा।

12. **लेखा एवं लेखा परीक्षण।—(1)** आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के इक्कीस मार्च को समाप्त होगा।

(2) आयोग द्वारा अपने जमा-व्यय का सम्यक् अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक् संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सचिव का होगा।

(3) आयोग के लेखा का सांविधिक लेखा परीक्षण भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा।

अध्याय—V

13. **शक्तियों का प्रत्यायोजन।—(1)** प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी।

(2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक का कर्तव्य एवं दायित्व तथा अन्य सदस्यों में से किसी एक अन्य सदस्य को आयोग के प्रशासनिक शाखा का कर्तव्य एवं दायित्व सौंप सकेंगे।

14. **नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्तियाँ।—(1)** इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियमावली/विनियमावली बनाने की शक्ति होगी।

(2) आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से, कार्य-प्रक्रिया संचालन नियमावली, विज्ञापनों के प्रकाशन, लिखित परीक्षाओं के संचालन, परीक्षाफलों के प्रकाशन, व्यक्तित्व जाँच/मौखिक परीक्षाओं, अन्य चयन प्रक्रिया, यदि कोई हो तो, आदि के संचालन एवं अन्य कार्यान्वयन हेतु विनियमावली बना सकेगा।

15. **नियमावली/विनियमावली का विधान मंडल के समक्ष रखा जाना।—** प्रत्येक नियमावली/विनियमावली बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र बिहार विधान मंडल के समक्ष आगामी सत्र अथवा अनुवर्ती सत्रों में, जो न्यूनतम कुल चौदह दिनों के लिए हो, रखी जायेगी।

16. **कठिनाइयों का निराकरण एवं निर्वचन।—(1)** इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के यथोचित कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो अधिनियम के प्रावधानों से संगत हो।

(2) इस अधिनियम के आरंभ के बाद एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में यदि कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका निराकरण राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, विधि विभाग के परामर्श से कर सकेगी।

(3) इस अधिनियम के हिंदी एवं अंग्रेजी पाठ में कोई अन्तर प्रकट हो तो हिंदी पाठ का अभिभावी प्रभाव होगा।

17. **अवशिष्ट मामले।—**इस अधिनियम से संबंधित सभी/कोई भी अवशिष्ट मामला राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निस्तारित किया जाएगा।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति।—(1)** इस अधिनियम की धारा-10 के अधीन आयोग को अंतरित मामलों तथा इस अधिनियम द्वारा आयोग को सौंपे गए तकनीकी पदों हेतु चयन संबंधी मामलों की सीमा तक, बिहार कर्मचारी चयन

आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा संशोधित) के संगत प्रावधान इस अधिनियम के आरंभ की तिथि से निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अधीन बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गयी चयन की कोई भी कार्रवाई वैध मानी जायेगी मानों उक्त कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी हो।

अनुसूची

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं से संबंधित पदों की सूची:-

क्रम संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
1	पशुधन पर्यवेक्षक	2400
2	पशुधन सहायक	1900
3	चालक	1900
4	मत्स्य प्रसार पदाधिकारी / मत्स्य निरीक्षक	4200
5	मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक	2800
6	डेयरी फिल्ड ऑफिसर	4200
7	डेयरी टेकनीकल ऑफिसर	4200
8	ब्लू प्रिंटर	1800
9	ट्रेसर	2000
10	कनीय अभियंता (सिविल / मेकानिकल)	4200
11	इस्टीमेटर	4200
12	इलैक्ट्रीशियन	1900
13	आर्किटेक्चरल ड्राफ्ट्समैन	4200
14	योजना पदाधिकारी	4200
15	अधीक्षण अभियंता के निजी सहायक (सिविल / मेकानिकल)	4200
16	कॉरपेंटर	1900
17	फ्रीटर ग्रेड- II	1900
18	लैब असिस्टेन्ट	2000
19	रिसर्च असिस्टेन्ट	4200
20	असिस्टेन्ट डायरेक्टर रिसर्च	4600
21	कम्प्युटर प्रोग्रामर	4200
22	केमिस्ट / चार्जमैन केमिस्ट	4200
23	बायोलोजिस्ट	4200
24	साइंटिफिक असिस्टेन्ट	4200
25	सुपरिटेण्डेण्ट / डिपुटी सुपरिटेण्डेण्ट, वाटर वर्क्स	4200
26	हेड असिस्टेन्ट	4200
27	ड्रीलर / असिस्टेन्ट ड्रीलर	4200
28	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड- I	4200
29	ड्राफ्ट्समैन ग्रेड- II / हेड ड्राफ्ट्समैन / असिस्टेन्ट ड्राफ्ट्समैन	2400
30	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट	2400
31	Sample Taker	1900
32	एकजिलरी नर्स मिडवाईफ	2400
33	लेडी हेल्थ विजिटर (मैट्रिक)	2800
34	लेडी हेल्थ विजिटर (नन् मैट्रिक)	2400
35	स्टॉफ नर्स ग्रेड- "B"	2800

क्रम संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
36	स्टॉफ नर्स ग्रेड-"A"	4600
37	फिजिओ थैरेपिस्ट, नन डिप्लोमा होल्डर	2800
38	फिजिओ थैरेपिस्ट, डिप्लोमा होल्डर	4200
39	ऑकियूपेशनल थैरेपिस्ट	4200
40	लैक्चरर/सीनियर ऑकियूपेशनल थैरेपिस्ट	4600
41	एक्स-रे टेकनीशियन	2800
42	ऑपरेशन थियेटर असिस्टेन्ट	2400
43	सेनितरी इन्सपेक्टर	2400
44	फुड इन्सपेक्टर	2400
45	डाईटिशियन(मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल)	4200
46	पेथोलॉजिस्ट	4200
47	स्टेटिस्टिशियन कम लैक्चरर पी.एस.एम. डिपार्टमेन्ट	4200
48	स्टेटिस्टिशियन/ स्टेटिस्टिकल ऑफिसर	4200
49	सीनियर लाईब्रेरियन	4200
50	फार्मास्यूटिकल केमिस्ट/केमिस्ट	4200
51	क्लीनिकल फिजियोलोजिस्ट (नन् मेडिकल)	4200
52	बायो फिजिसिस्ट (नन् मेडिकल)	4200
53	क्युरेटर (नन् मेडिकल)	4200
54	योगा टीचर	2800
55	साइटो टेकनीशियन	1900
56	मेकेनिक (फार्मसी इन्स्टीच्यूट, पटना)	2400
57	आर्टिस्ट कम फोटोग्राफर इनक्लूडिंग सीनियर आर्ट फोटोग्राफर	4200
58	ड्राईवर कम प्रोजेक्शनिस्ट/प्रोजेक्शनिस्ट	2400
59	फोटोग्राफर (प्रोसेस कैमरामैन)	2400
60	स्टेनो टाइपिस्ट	2400
61	मोटर मैकेनिक	2400
62	लेबोरेट्री टेकनीशियन	2000
63	असिस्टेन्ट एन्टी मलेरिया ऑफिसर	4200
64	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (टेकनिकल असिस्टेन्ट/लैब टेकनीशियन)	2000
65	असिस्टेन्ट फाइलेरिया कन्ट्रॉल ऑफिसर/असिस्टेन्ट इन्टोमोलोजिस्ट	4200
66	लेबोरेट्री टेकनीशियन	2800
67	टी.बी. असिस्टेन्ट	2000
68	बी.सी.जी.टेकनीशियन/ बी.सी.जी. टीम लीडर	2400
69	बी.सी.जी. टीम लीडर (ट्रेन्ड)	4200
70	लेबोरेट्री टेकनीशियन (i)	2000
71	लेबोरेट्री टेकनीशियन (ii)	2800
72	चीफ लेबोरेट्री टेकनीशियन	2400
73	म्यूजिक टीचर	1800
74	इलेक्ट्रीशियन कम मैकेनिक	1900
75	डेंटल इलेक्ट्रीक टेकनीशियन	2400
76	जूनियर मेकेनिक	1900

क्रम संख्या	पद का नाम	ग्रेड पे
77	लेबोरेट्री असिस्टेन्ट (सी.के.एम. कॉलेज)	1900
78	आर्टिस्ट	2000
79	बेसिक हेल्थ वर्कर	1900
80	एक्स-रे मैकानिक	1900
81	कम्पाउण्डर	1900
82	मोबाईल फोरमैन	2400
83	फिजिकल इन्स्ट्रक्टर	2400
84	सीनियर मैकानिक	2400
85	सेनितरी इन्सपेक्टर	2400
86	हेड लेबोरेट्री असिस्टेन्ट	2400
87	एक्स-रे टेकनीशियन	2800
88	डेन्टल टेकनीशियन	2400
89	एकजलिरी हेल्थ वर्कर	2400
90	डेन्टल हाईजिनिस्ट	2400
91	फार्मासिस्ट	2800
92	लेबोरेट्री टेकनीशियन (डेन्टल)	2800
93	डीप एक्सरे टेकनीशियन	2800
94	वर्कशॉप फोरमैन	2800
95	रिस्पेशनिस्ट (एन.एम.कॉलेज)	2400
96	सीनियर एक्सरे टेकनीशियन	4200
97	हेड फार्मासिस्ट	4200
98	औपथैलमिक असिस्टेन्ट	2800
99	सीनियर रेडियोग्राफरस्	4200
100	लाउण्डरी मैकानिक इंजिन ड्राइवर	1900
101	इलेक्ट्रीशियन-कम-ड्राइवर	1900
102	इ.सी.जी.टेकनीशियन	4200
103	टेकनीशियन ब्लड बैंक (सदर हॉस्पिटल, बेगूसराय)	2400
104	साइकोलोजिस्ट-कम-सोशल वर्कर	4200
105	आर्टिस्ट कम मॉडलर (एन.एम.सी.एच.)	1900
106	स्टेटिस्टिकल असिस्टेन्ट (प्रोविजिनल)	4200
107	स्कील्ड आर्टिजन (ट्रेन्ड)	2400
108	सीनियर इन्स्ट्रक्टर (इलेक्ट्रीकल)	2800
109	कैथ लैब टेकनीशियन	4200

नोट:—राज्य सरकार द्वारा नये पद अनुसूची में सम्मिलित हो सकेंगे एवं पद अनुसूची से हटाये भी जा सकेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

21 अगस्त 2014

संख्या-एल0जी0-1-08/2014/94/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2014 को अनुमत **बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अखिलेश कुमार जैन,

सरकार के सचिव।

Bihar Technical Staff Selection Commission Bill 2014

[Bihar act 13, 2014]

AN

ACT

Preamble :- to constitute the Bihar Technical Staff Selection Commission for selection of Candidates to the post of Group 'B' and 'C' under State Government of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty fifth year of the Republic of India as follows :-

Chapter I

1. **Short title, Extent and Commencement** I- (1) This Act may be called The Bihar Technical Staff Selection Commission Act, 2014.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come in to force at once.
2. **Definitions** I- In this Act, unless any thing is repugnant to the subject or context;
 - (i) "Act "means The Bihar Technical Staff Selection Commission Act, 2014.
 - (ii) "Commission" means, Bihar technical Staff Selectioin Commission constituted under this Act;
 - (iii) "State Government" means The State Government of Bihar.
 - (iv) "Shedule" means Shedule inclosed with this Act.

Chapter II

3. **Constitution of Commission** I- The Bihar Technical Staff Selection Commission shall be constituted consisting of the followings :-

- (i) **Chairman**- Any officer belonging to Indian Administrative Service not below the rank of super time scale appointed by the General Administration Department of the State Government whose minimum three years of service remains :

Provided that retired officer of the equivalent eligibility also may be appointed as Chairman by the General Administration Department of the State Government.

- (ii) **Members**- Five Officers of the State Services appointed by the General Administration Department of the State Government whose minimum one year of Service remains :

Provided that retired officers of the equivalent eligibility also may be appointed as Member by the General Administration Department of the State Government.

Among these five members minimum one member shall be selected from Bihar Engineering Services, Bihar Health Services and Bihar Administrative Services respectively. Rest two other members will be selected from any services from the said three services :

Provided that only such officers of Bihar Engineering Service, Bihar Health Service and Bihar Administrative Service shall be Selected as the members who holds post on permanent basis not less than grade pay of Rs. 8700/- (Eight thousand Seven hundred) or have already held the post under the State Government .

4. Tenure of Chairman and Members of the Commission I- The tenure of the Chairman and Members of the Commission shall be Generally for three years.

provided that, in special circumstances, the tenure of a Member shall be further that extended for that period as it may be determined by the State Government.

Provided further that if General Administration Department of the State Government is reasonably Satisfied that continuance of Chairman or any Member or all Members in the Commission is against the public interest or convenient work performance of the Commission may be obstructed by their continuance, then Chairman or/ and such any other Member/ all Members may be discharged from their posts by the State Government (General Administration Department) before the completion of their general tenure of three years.

5. Age limit of Chairman and Members of the Commission I- The maximum age limit of the Chairman or Members of the Commission at the time of appointment shall be 62 (sixty two) years in the matter of retired officers.

6. Headquarter and Administrative Department of the Commission I- The Headquarter of the Commission shall be Situated in Patna and General Administration Department shall be Administrative Department of the Commission.

7. Subordinate officers and Employees I- For conduct of business of the Commission, post strength of subordinate officers and employees and their service conditions will be in conformity with the rules made by The State Government under this Act.

Chapter III

8. Services, Cadre and Posts for Which the Commission May Recommend for Appointment I- The Commission may select and recommend for appointment to all Technical Services/ Cadres / Posts of Group 'B' and 'C' of Grade pay less than Rupees 4800/-or corresponding Grade Pay as revised from time to time in the different Departments of State Government and Field Offices as included in the Schedule of this Act.

The Schedule may be amended time to time by the General Administration Department by Notification.

9. Selection Procedure I- (1) Commission shall select the candidates for appointment on Technical posts according to prescribed procedure under the Service Cadre Rules of respective posts;

Provided that in absence of Service Cadre Rules for any Technical post, The Commission shall select the candidates for that post according to the Prescribed Procedure in the selection rules made for this purposes by the Commission with prior permission of the State Government.

(2) The Commission hold the Combind Competitive Examination for the posts of similar qualifications.

10. Transfer of pending Selection works Related to Technical posts of Group 'B' and 'C' :- The Selection works shall be completed by the Bihar Technical staff Selection Commission for the appointment to all such Technical posts as included in the schedule of this Act, in respect of which the advertisement has not been issued or published by the Bihar Staff Selection Commission till the date of commencement of this Act :

Provided that the Selection work shall be completed by the Bihar Staff Selection Commission for appointment to such all Technical posts as included in the Schedule of this Act, in respect of which the advertisement has been issued or published by the Bihar Staff Selection Commission till the date of enforcement of this Act .

Chapter IV

11. Financial Provisions I- (i) All expences of the Commission office and work execution of the Commission shall be bore by the State Government .

(ii) The Commission shall received the examination fee from the Candidates determined by the State Government, time to time for the Competitive Examinations conducted for selection for the appointment of the different posts, which will be deposited in the appropriate receipt Head in State Treasury by the Commission.

12. Accounts and Audit I- (i) Financial year of the Commission shall begins from 1st April of a Calander year and shall end on 31st March of the next Calendar year.

(ii) Due recording of all due credit and expenditure shall made by the commission and the Secretary of the Commission shall be particularly responsible of duly maintenance of the accounts of the Commission :

(iii) The statutory audit of the accounts of the Commission shall be made by Accountant General of India.

Chapter V

13. Delegation of Powers I- (i) The Secretary of the Commission shall have the powers to exercise the powers similar to the Head of the Departments of the State Government in cases of the Administrative and Financial matters .

(ii) The Chairman of the Commission shall entrust the duties and responsibilities of Examination Controller of the Commission to one member among the members and duties and responsibilities of Administrative Branch to another one member among the rest members.

14. Powers to Make Rules/Regulations I- (i) The State Government shall have power to make the Rules/ Regulations for implementing the provisions of this Act.

(ii) The Commission may make The work Procedure Conduct Rules and Regulations for Conduct of Publication of Advertisements, Conduct of Written Examinations, Publication of results, personality test/Viva-voce Test and other selection procedure, if any other functions, with the prior approval of State Government.

15. Lay down Rules/Regulations before the Legislature I- Each Rules/ Regulations after it is made shall be layed as soon as possible before the Legislation in the Coming Session or Subsequent Sessions which is for total minimum for fourteen days.

16. Removal of Difficulties and Interpretation I-(i) Within one year after the commencement of this Act, the State Government may make such Provisions by Notification for the removing the difficulties coming in appropriate implementation, of relevant provisions of this Act which not in consistent with provisions of the Act.

(ii) if any doubt arises in respect of interpretation of any provision of the Act within one year after the commencement of this Act, The State Government may remove the same by Notification in consultation with the Law Department..

(iii). If any difference appears in Hindi Version and English Version of this Act, the Hindi Version shall have overriding effect.

17. **Resedue Matters I-** All/any resedue matters related to this Act shall be disposed off by the State Government (General Administration Department) according to the provisions of this Act.

18. **Repeal and Savings I- (1)** Relevant Provisions of Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (As amended from time to time) are hereby repealed from the date of commencement of this Act till the limit of the matters transferred by section 10 of this Act and giving the matters related to the selection to Technical posts by this Act to the Commission.

(2) Notwithstanding this repeal any action of selection taken by The Bihar Staff Selection Commission under The Bihar Staff Selection Commission Act, 2002 (As amended from time to time) shall be legal and that shall be deemed to be legal as if the said action was taken under this Act.

Schedule -

List of Posts for which Examination is to be Conducted by Bihar Technical Staff Selection Commission

Sl. No.	Name of Post	Grade Pay
1	Live Stock Supervisor	2400
2	Live Stock Assistant	1900
3	Driver	1900
4	Fisheries Extension Officer/ Fisheries Inspector	4200
5	Fisheries Extension Supervisor	2800
6	Dairy Field Officer	4200
7	Dairy Technical Officer	4200
8	Blue Printer	1800
9	Tracer	2000
10	Junior Engineer (Civil/Mechanical)	4200
11	Estimator	4200
12	Electrician	1900
13	Architectural Draftsman	4200
14	Planning Officer	4200
15	Personal Assistant to Superintending Engineer	4200
16	Carpenter	1900
17	Fitter Grade-II	1900
18	Lab Assistant	2000
19	Research Assistant	4200
20	Assistant Director Research	4600
21	Computer programmer	4200
22	Chemist/ Chageman Chemist	4200

Sl. No.	Name of Post	Grade Pay
23	Biologist	4200
24	Scientific Assistant	4200
25	Superintendent/ Deputy Superintendent, Water Works	4200
26	Head Assistant	4200
27	Driller/ Assistant Driller	4200
28	Draftsman, Grade-I	4200
29	Draftsman, Grade-II/ Head Draftsman/ Assistant Draftsman	2400
30	Laboratory Assistant	2400
31	Sample taker	1900
32	Auxiliary Nurse midwife	2400
33	Lady Health Visitor (Martic)	2800
34	Lady Health Visitor (Non-Martic)	2400
35	Staff Nurse Grade-"B"	2800
36	Staff Nurse Grade-"A"	4600
37	Physio Therapist, Non Diploma Holder	2800
38	Physio Therapist, Diploma Holder	4200
39	Occupational Therapist	4200
40	Lecturer /Senior Occupational Therapist	4600
41	X-Ray- Technician	2800
42	Operation Theater Assistant	2400
43	Sanitary Inspector	2400
44	Food Inspector	2400
45	Dietician (Medical Collage Hospital)	4200
46	Pathologist	4200
47	Statistician -cum- Lecturer PSM Department	4200
48	Statistician / Statistical Officer	4200
49	Senior Librarian	4200
50	Pharmaceutical Chemist /Chemist (Non Medical)	4200
51	Clinical Psychologist (Non Medical)	4200
52	Bio-physicist (Non Medical)	4200
53	Curator (Non Medical)	4200
54	Yoga Teacher	2800
55	Cyto Technician	1900
56	Mechanic (pharmacy Institute, Patna)	2400
57	Artist-Cum-Photographer Including Senior Art Photographer	4200
58	Driver-cum- Projectionist/ Projectionist	2400

Sl. No.	Name of Post	Grade Pay
59	Photographer (Process Cameraman)	2400
60	Steno Typist	2400
61	Motor Mechanic	2400
62	Laboratory Technician	2000
63	Assistant Anti Malaria Officer	4200
64	Leboratory Assistant (Technical Assistant/ Lab Technician)	2000
65	Assistant Filaria Control Officer/Assistant Entomologist	4200
66	Laboratory Technician	2800
67	T.B. Assistant	2000
68	B.C.G. Technician/ B.C.G. Team Leader	2400
69	B.C.G. Team Leader (trained)	4200
70	Laboratory Technician-(i)	2000
71	Laboratory Technician-(ii)	2800
72	Chief Laboratory Technician	2400
73	Music Teacher	1800
74	Electrician –cum- Mechanic	1900
75	Dental Electric Technician	2400
76	Junior Mechanic	1900
77	Library Assistant (CKM.College)	1900
78	Artist	2000
79	Basic Health Worker	1900
80	X-ray Mechanic	1900
81	Compounder	1900
82	Mobile Foreman	2400
83	Physical Instructor	2400
84	Senior Mechanic	2400
85	Sanitary Inspector	2400
86	Head Laboratory Assistant	2400
87	X-ray Technician	2800
88	Dental Technician	2400
89	Auxilliary Health Worker	2400
90	Dental Hygienist	2400
91	Pharmacist	2800
92	Laboratory Technician (Dental)	2800
93	Deep X-Ray Technician	2800
94	Workshop foreman	2800
95	Receptionist (N.M College)	2400
96	Senior X-Ray Technician	4200
97	Head Pharmacist	4200
98	Ophthalmic Assistant	2800
99	Senior Radiographers	4200

Sl. No.	Name of Post	Grade Pay
100	Laundry Mechanic Engine Driver	1900
101	Electrician-Cum- Driver	1900
102	E.C.G. Technician	4200
103	Technician , Blood Bank (Sadar Hospital, Begusarai)	2400
104	Psychologist –Cum-Social Worker	4200
105	Artist-cum- Modler (N.M.C.H)	1900
106	Statistical Assistant (Provisional)	4200
107	Skilled Artisan (trained)	2400
108	Senior Instructor (Electrical)	2800
109	Cath Lab Technician	4200

Note :- New Posts may be included and deleted in the Schedule by the State Government .

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 686-571+300-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 श्रावण 1940 (श10)
(सं0 पटना 729) पटना, सोमवार, 30 जुलाई 2018

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
30 जुलाई 2018

सं०एल०जी०-01-8/2018-70/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 जुलाई 2018 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण को सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 9, 2018)

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना।—

चूँकि बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-8 के अनुसार बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संप्रति अधिनियम की अनुसूची में यथा सम्मिलित रु0 4800/— (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर ही नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्यवाही की जानी है ;

और चूँकि राज्य सरकार के तकनीकी पदों, यथा—सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु-चिकित्सक के चयन एवं अनुशंसा की कार्यवाही सम्प्रति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है;

और चूँकि राज्य सरकार के उक्त पदों पर चयन एवं अनुशंसा की कार्यवाही बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से निष्पादित किये जाने से इन पदों पर चयन की कार्यवाही में गति एवं सुविधा संभावित है;

और चूँकि राज्य सरकार के 4800/— ग्रेड पे एवं इससे अधिक ग्रेड पे के उक्त तकनीकी पदों पर चयन एवं अनुशंसा की कार्यवाही, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही किये जाने संबंधी प्रावधान करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना समीचीन है;

और चूँकि उपर्युक्त संशोधन के पश्चात् राज्य सरकार के 4800/— ग्रेड पे एवं इससे अधिक ग्रेड पे के प्रसंगाधीन तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा की कार्यवाही भी, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से किया जायेगा, ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियम को संशोधित करते हुए आयोग के नाम में प्रयुक्त शब्दों "कर्मचारी" तथा "चयन" को "सेवा" से प्रतिस्थापित करते हुए इसका नाम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग" किया जाना समीचीन है;

इसलिए, अब भारत गणराज्य के 69 वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018" कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 13, 2014 के शीर्षक, धारा-1 की उपधारा-1, धारा-2 की उपधारा-(i), धारा-2 की उपधारा-(ii), धारा-3, धारा-10 एवं अनुसूची में संशोधन।—उक्त अधिनियम, 2014 के शीर्षक, धारा-1 की उपधारा-1, धारा-2 की उपधारा-(i), धारा-2 की उपधारा-(ii), धारा-3, धारा-10 एवं अनुसूची में उल्लिखित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग में प्रयुक्त शब्दों "कर्मचारी" तथा "चयन" को "सेवा" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. बिहार अधिनियम 13, 2014 की धारा-8 में संशोधन।—उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-8 में प्रयुक्त शब्द एवं अंक "रु0 4800/— (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर यथा पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले" को विलोपित किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

30 जुलाई 2018

सं०एल०जी०-01-8/2018-69/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2018 को अनुमत बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 9, 2018)
Bihar Technical Staff Selection Commission (Amendment) Act, 2018

AN
 ACT

to amend The Bihar Technical Staff Selection Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014)

Preamble:-

WHEREAS, According to section-08 of Bihar Technical Staff Selection Commission Act, 2014, The Bihar Technical Staff Selection Commission has to select and recommend for appointment to the Technical Services/Cadres/ Posts of Group 'B' and 'C' of grade pay less than, Rupees 4800/-or corresponding grade pay revised from time to time in different departments and regional offices of the State Government.

AND WHEREAS, the process of selection and recommendation for the technical posts of the State Government such as Assistant Engineer, Doctor and Veterinary Doctor is presently done by the Bihar Public Service Commission;

AND WHEREAS, it is presumed that the process of selection and recommendation for the above said posts will be executed with speed and convenience by The Bihar Technical Staff Selection Commission;

AND WHEREAS, amendment in the said Act is necessary for making provision for procedure of selection and recommendation on the technical post of grade pay 4800/- and above of the State Government also by the Bihar Technical Staff Selection Commission;

AND WHEREAS, after aforesaid amendment, procedure for selection and recommendation for appointment on the referred technical post of grade pay 4800/- and above of the State Government shall be done by the "Bihar Technical Staff Selection Commission", in this circumstance it is necessary to name it as "Bihar Technical Service Commission" after amending the said Act by substituting the word "Service" for "Staff" and "Selection" used in the name of the Commission.

NOW THEREFORE, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Sixty Ninth year of republic of India as follows:-

1. *Short title, Extent and Commencement.*— (1) This Act may be called The Bihar Technical Staff Selection Commission (amendment) Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come in to force at once.

2. **Amendment in the Title, Sub-section-1 of Section-1, Sub-section-(i) of Section-2, Sub-section-(ii) of Section-2, Section-3, Section-10 and in Schedule of the Bihar Act 13, 2014.**— The words "Staff" and "Selection" used in "Bihar Technical Staff Selection Commission" mentioned in the Title, Sub-section-1 of Section-1, Sub-section-(i) of Section-2, Sub-section-(ii) of Section-2, Section-3, Section-10 and in Schedule of the said Act, 2014 shall be substituted by the word "Service".

3. **Amendment in Section-8 of Bihar Act 13, 2014.**— the word and figures " Grade pay less than Rupees 4800/- (four thousand eight hundred) or corresponding grade pay as revised from time to time" used in section-8 of the said Act, 2014 shall be omitted.

By Order of the Governor of Bihar,
 AKHILESH KUMAR JAIN,
 Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 729-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1941 (श10)

(सं0 पटना 936) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अगस्त 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

8 अगस्त 2019

सं० एल०जी०-01-13/2019-5367/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 3 अगस्त 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 15, 2019)
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना।—

चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" की धारा-13 (1) के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दी गयी है;

और चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015" के नियम-10(1) में आयोग की वित्तीय शक्तियाँ आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग में निहित की गयी हैं;

और चूँकि उक्त नियमावली के नियम-10(1) में आयोग के सचिव के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, अतः अधिनियम एवं नियमावली में विहित उक्त प्रावधानों में विरोधाभास की स्थिति है ;

और चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के निर्बाध संचालन के लिए आयोग के प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उचित निर्धारण समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है ;

इसलिए, अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—

- (i) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 13, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-13 (1) में संशोधन।— उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-13 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:—

"(1) कार्य संचालन हेतु, आयोग की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उपबंधित की गई हों।"

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

8 अगस्त 2019

सं० एल०जी०-01-13/2019-5368/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2019 को अनुमत **बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।

(Bihar Act 15, 2019)
The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2019
AN
ACT
to amend the Bihar Technical Service Commission Act, 2014
(Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time)

preamble :-

WHEREAS, According to section-13(1) of "Bihar Technical Service Commission Act, 2014", The Secretary of the Commission shall have the powers to exercise the powers similar to the head of the Departments of the State Government, in cases of the Administrative and Financial matters;

AND WHEREAS, Financial Powers of the Commission is being invested in Chairman of the Commission and in the Commission in Rule-10 (1) of "Bihar Technical Service Commission Rules, 2015"; AND WHEREAS, There is no any provision of Administrative and Financial power for Secretary of the Commission in Rule 10 (1) of the above said Rules, so there is a situation of contradiction in the above said Provisions in Act and Rules ;

AND WHEREAS, for smooth conducting of Bihar Technical Service Commission, suitable determination of Administrative and Financial Powers of the Commission is appropriate and amendment in aforesaid Act is required for this ;

NOW THEREFORE, be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement. —

- (i) This Act may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2019".
- (ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar
- (iii) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in Section-13(1) of Bihar Act 13, 2014 (As amended time to time) .—

Subsection (1) of section-13 of said Act, 2014 shall be Substituted by the following :-

- "(1) For conduct of functions, administrative and financial powers of the Commission shall be same as are provided by the Rules made under this Act by the State Government."

By Order of the Governor of Bihar,
Madan Kishore Kaushik,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 936-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1943 (श0)
(सं0 पटना 1004) पटना, मंगलवार, 14 दिसम्बर 2021

विधि विभाग

अधिसूचना

14 दिसम्बर 2021

सं० एल०जी०-01-21/2021-6836/लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2021 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 23, 2021]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत-गणराज्य के बहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-(1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021" कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-3(ii) का संशोधन :-
अधिनियम की धारा-3(ii) में "राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष हो:" शब्दों के स्थान पर "राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त राज्य सेवा के 5 अधिकारी : " शब्द रखे जायेंगे।

3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-4 के पहले परन्तुक का संशोधन एवं धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद एक अन्य परन्तुक का जोड़ा जाना :-

(1) अधिनियम की धारा-4 के पहले परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

"परन्तु राज्य सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में, अध्यक्ष या किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिश्चित किया जाय, किया जा सकेगा।"

(2) अधिनियम की धारा-4 के दूसरे परन्तुक के बाद तीसरा परन्तुक निम्नवत् जोड़ा जायेगा :-

"परन्तु आयोग के अध्यक्ष का पद, रिक्त रहने की स्थिति में, अध्यक्ष पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, आयोग के वरीयतम सदस्य कार्यकारी व्यवस्था के तहत अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सदस्य की वरीयता की गणना आयोग के सदस्य के रूप में योगदान की तिथि के आधार पर की जायेगी। "

4. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा- 5 का संशोधन :-
अधिनियम की धारा-5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा -

" 5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र-सीमा :-

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्यरत रहने की अवधि तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इसमें से जो पहले हो, तक होगी।"

5. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (बिहार अध्यादेश-04, 2021) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव।

14 दिसम्बर 2021

सं० एल०जी०-01-21/2021-6837/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर 2021 को अनुमत बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 23, 2021) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
पी० सी० चौधरी,
सरकार के सचिव ।

[Bihar Act 23, 2021]

Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2021

AN

ACT

**to amend the Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014)
(as amended time to time)**

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Second year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement - (1) This Act may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2021".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(3) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in Section-3(ii) of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) :- In Section-3(ii) of Said Act for the words "five officers of the state services appointed by the General Administration Department of the State Government whose minimum one year of service remain:" the words "five officers of the State services appointed by the General Administration Department:" shall be substituted.

3. Amendment in first proviso in Section-4 and addition of one another proviso in Section-4 of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014):-

(1) First proviso of Section-4 of the Act shall be substituted by the following:-

"provided that, in special circumstances, the tenure of chairman or a member shall be further that extended for that period as it may be determined by State Government"

(2) After second proviso of the Section-4 of Act following third Proviso shall be added:-

"Provided that in the case the post of chairman of the commission is vacant, till the regular appointment of the chairman, senior member of the commission will discharge responsibility of the chairman under the executive order. Calculation of seniority of the member shall be calculated on the basis of date of joining as a member of the commission"

4. Amendment in Section-5 of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014):- Section-5 of Said Act shall be substituted as following:-

"5. Age limit of the chairman and members of the commission :-

Tenure as a chairman and member of the commission shall be 3 years or the age of 70 years, whichever is earlier"

5. Repeal and Savings :- (1) The Bihar Technical Service Commission (Amendment) Ordinance, 2021, (Bihar Ordinance No-04, 2021) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing was done or such action was taken.

P. C. CHOUDHARY,

Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1004-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 पौष 1944 (श0)
(सं0 पटना 57) पटना, शुक्रवार, 13 जनवरी, 2023

विधि विभाग

अधिसूचना
13 जनवरी, 2023

सं० एल०जी०-01-19/2022/372 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक-08 जनवरी, 2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रुद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022

[बिहार अधिनियम 04, 2023]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :- चूंकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-8 में संशोधन समीचीन है ;

इसलिए, भारत-गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियम हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

(i) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022" कहा जायेगा।

(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-8 का संशोधन।- उक्त अधिनियम, की धारा-8 में परन्तुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगा:- "परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।"

13 जनवरी, 2023

सं० एल०जी०-01-19/2022/373 लेज:- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राजपाल द्वारा दिनांक 8 जनवरी, 2023 को अनुमत बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2022 (बिहार अधिनियम 04, 2023) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रुद्र प्रकाश मिश्र,
सरकार के सचिव।

Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2022

[Bihar Act 04, 2023]

AN

ACT

to amend the Bihar Technical Service Commission Act, 2014

(Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time)

preamble :-

WHEREAS, Bihar Technical Service Commission is created by the Bihar Technical Service Commission Act, 2014, and the amendment in the section-8 is appropriate in the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Seventy third year of Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement -

(i) This Act may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2022".

(ii) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(iii) It shall come in to force from the date of its publication in the official gazette.

2. Amendment in Section-8 of Bihar Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014) :-A proviso shall be added in the section-8 of the said act as follows:-

"Provided that, The Commission may select and recommend for appointment to all posts of specialist Medical officers of Bihar Health Service Cadre and Bihar Medical Education Service Cadre."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 57-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 फाल्गुन 1945 (श0)
(सं0 पटना 256) पटना, वृहस्पतिवार, 14 मार्च 2024

विधि विभाग

अधिसूचना

14 मार्च, 2024

सं० एल०जी०-01-11-2024/1998/लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दिनांक- 14 मार्च, 2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है:-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव(प्र०)।

[बिहार अधिनियम 10, 2024]

बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024

बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

प्रस्तावना :-चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-8 में संशोधन समीचीन है ;

इसलिए, भारत-गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।-

(1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024" कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) की धारा-8 के परन्तुक का संशोधन।- उक्त अधिनियम, की धारा-8 के परन्तुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"परन्तु, आयोग, स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के सम्मिलित सभी पदों तथा इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान चिकित्सा सेवा संवर्ग के सभी पदों और स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा, जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्णय लिया जाय।"

ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव(प्र०)।

14 मार्च, 2024

सं० एल०जी०-01-11-2024/1999/लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2024 को अनुमत बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2024 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा :-

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव,
सरकार के सचिव(प्र०)।

[Bihar Act 10, 2024]

Bihar Technical Service Commission (amendment) ACT, 2024

AN

ACT

to amend the Bihar Technical Service Commission Act, 2014
(Bihar Act 13, 2014) (as amended time to time)

preamble :-

WHEREAS, Bihar Technical Service Commission is created by the Bihar Technical Service Commission Act, 2014, and the amendment in the section-8 is appropriate in the aforesaid Act;

NOW THEREFORE, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the Seventy five year of Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called "The Bihar Technical Service Commission (amendment) Act, 2024".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once on publication in official gazette.

2. Amendment in Proviso of Section-8 of Bihar Technical Service Commission Act, 2014 (Bihar Act 13, 2014).- Proviso of section-8 of the said Act shall be substituted as follows:-

"Provided that, The Commission may select and recommend for the appointment to all posts including General Medical Officer, Specialist Medical Officer of Bihar Health Service Cadre and all posts of Indira Gandhi Institute of Cardiology Medical Service Cadre, and such other posts under the control of Health Department as the Government may from time to time decide."

Jyotisaroop Srivastava,

I/C Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 256-571+400-डी०टी०पी० ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>